अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 13/2018(RCMS No. 2018/00)
अनवान् रामचन्द्र पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार आयु 88 वर्ष निवासी हरखेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर **बनाम 1. जमना देवी** पत्नी रामचन्द जाति कुम्हार निवासी हरखेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगागनर **2. भीमसेन पुत्र रामचन्द** जाति कुम्हार निवासी हरखेवाला तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.07.2019

अपीलार्थी रामचन्द एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 जमना देवी व रेस्पोडेंट संख्या 02 भीमसेन स्वयं उपस्थित हैं। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की एडमिशन के बिन्दु पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है :–

यह है कि जमना देवी पत्नी रामचन्द्र ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर के समक्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 के तहत एक प्रार्थना पत्र अपने पति श्री रामचन्द एवं पुत्र श्री भीमसेन के विरूद्ध पेश किया था जिस पर सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपने प्रकरण संख्या 06/2017 में निर्णय दिनांक 18.06.2018 के द्वारा भीमसैन पुत्र रामचन्द्र एवं रामचन्द्र पुत्र जेठाराम (पति) को 4000–4000/– रूपये प्रतिमाह जमना देवी (रेस्पोडेंट संख्या 01) को भरण पोषण दिये जाने का आदेश दिया। उक्त आदेश की अप्रसन्नता से रामचन्द्र पुत्र जेठाराम जो कि रेस्पोडेंट संख्या 01 जमना देवी का पति है और रेस्पोडेंट संख्या 02 भीमसैन जो कि रामचन्द्र का पुत्र है, के विरूद्ध यह अपील पेश करके प्रार्थना की है कि उपखण्ड अधिकारी आदेश दिनांक 18.06.2018 रेस्पोडंट संख्या 01 को भरण पोषण दिलाये जाने की हद तक निरस्त किया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अपीलार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष जमनादेवी रेस्पोडेंट संख्या 01 ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसमें उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने रेस्पोडेंट संख्या 01 जमना देवी को गैरकानूनी रूप से अपीलार्थी जो कि जमना देवी का पति है से 4000/– प्रतिमाह भरण पोषण दिये जाने का आदेश पारित किया था और इसी आदेश में जमना देवी के पुत्र भीमसैन से भी 4000/– प्रतिमाह जमना देवी को भरण पोषण के रूप में दिलाये जाने के आदेश दिये गये थे। उनका आगे कथन है कि उक्त अधिनियम के तहत रेस्पोडेंट संख्या 01 जमना देवी अपने पुत्र भीमसेन–रेस्पोडेंट संख्या 02 से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार था किन्तु अपने पति राजचन्द्र जो कि हस्तगत अपील में अपीलांट है से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं थी। इसलिए अपीलार्थी की हद तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 निरस्त करने योग्य है।

इसके विपरीत जमना देवी का कथना था कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के आदेश दिनांक 18.06.2018 के द्वारा जो भरण पोषण अपीलार्थी/ अप्रार्थी संख्या 1 एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 (भीमसेन) से 4000–4000/– प्रतिमाह भरण पोषण दिलाये जाने का आदेश दिया है वह विधिसम्मत् है उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यता नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उसका आगे यह भी कथन था कि रामचन्द्र ने अपने पुत्र भीमसैन रेस्पोडेंट संख्या 02 से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं चाही है और उसके द्वारा यह अपील पति के रूप में पत्नि के विरूद्ध पेश की गई है जो उक्त अधिनियम माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश करने की अधिकारिता नहीं है।

सर्वप्रथम इस मामले में यह तय किया जाना है कि क्या रामचन्द्र पुत्र जेठाराम को यह अपील माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के अन्तर्गत पेश करने की अधिकारिता है या नहीं? यदि है तो गुण दोष के आधार पर निर्णय किया जायेगा।

मैनें उक्त क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर उभपपक्ष की बहस सुनी और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के आदेश दिनांक 18.06.2018 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एसबीसी रिट संख्या 10485/2018 पेश की थी जो उसके द्वारा आदेश दिनांक 08.08.2018 से वापिस ले ली गई है और इसके पश्चात पुनः यह अपील रामचन्द्र ने बतौर पति अपनी पत्नी जमना देवी और पुत्र भीमसेन(पुत्र) के विरूद्ध माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 धारा 16 के तहत पेश की है।

सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि रामचन्द्र को अधीनस्थ न्यायालय के विरूद्ध यह अपील पेश करने की अधिकारिता है अथवा नहीं?

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपने आदेश दिनांक 18.06.2018 से निम्न निर्णय पारित किया है :

> पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस का मनन किया गया तो पाया कि प्रार्थीया भरण पोषण पाने की अधिकारी एवं प्रकरण में तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी भीमसेन पुत्र रामचन्द व रामचन्द पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार निवासी हरखेवाला तहसील पदमपुर **प्रार्थीया को 4000–4000/– रूपये कुल 8000/– प्रति माह अदा करेगें।** निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना घमूड़वाली का पालनार्थ भिजवाई जावे।
>
> यह निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
>
> -sd-
> उपखण्ड अधिकारी
> पदमपुर

उक्त आदेश के विरूद्ध रामचन्द्र जो कि रेस्पोडेंट संख्या 01 जमना देवी का पति है के द्वारा यह अपील अन्तर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के अन्तर्गत पेश की गई है। इस मामले में सर्वप्रथम यह तय किया जाना उचित होगा कि क्या अपीलार्थी रामचन्द्र जो कि रेस्पोडेंट संख्या 01 जमना देवी का पति है व रेस्पोडेंट सख्या 02 भीमसेन का

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पिता है को उक्त अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत अपनी पत्नि के विरूद्ध अपील पेश करने की अधिकारता है अथवा नहीं। जबकि रेस्पोडेंट संख्या 02 अपीलार्थी का पुत्र है जिससे उसने कोई राहत नहीं चाही है।

माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 निम्न प्रकार से है :

> **धारा 16.अपील**—(1) अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या माता—पिता, आदेश की तिथि से साठ दिवसों के अंदर, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा,
>
> **परन्तु** अपील पर, सन्तान या सम्बन्धी, जिससे ऐसे भरण— पोषण के आदेश के निबन्धनों में किसी धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे माता—पिता को अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित ढंग में इस प्रकार आदेशित धनराशि का लगातार भुगतान करता रहेगा:
>
> **परन्तु** यह और कि अपील अधिकरण साठ दिनो की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसे समाधान है कि अपीलार्थी समय सीमा के अन्तर्गत अपील दाखिल करने हेतु पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था।

उक्त धारा के तहत केवल माता पिता/वरिष्ठ नागरिक ही यदि वे सम्बन्धित अधिकरण के भरण पोषण के आदेश से अप्रसन्न हो तो वे धारा 16 के तहत अपील पेश कर सकते है। दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति अपील पेश कर सकता है जिसके द्वारा अधिकरण के समक्ष धारा 5 के तहत भरण पोषण के लिए प्रार्थना पत्र दिया हो और उसका प्रार्थना पत्र खारिज किया गया हो या आंशिक स्वीकार किया गया हो कि अप्रसन्नता से ही वहीं व्यक्ति अपील पेश कर सकता है अन्य कोई

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नही। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष हस्तगत प्रकरण में जमना देवी ने अधिकरण के समक्ष धारा 5 के तहत भरण पोषण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। अगर उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के आदेश दिनांक 18.06.2018 से उसे कोई आपत्ति हो तो वह धारा 16 के तहत अपील पेश कर सकती थी। उक्त आदेश दिनांक 18.06.2018 के विरूद्ध अपीलार्थी को बतौर पति इस न्यायालय में अपील पेश करने की कोई कानूनी अधिकार नहीं है और न ही इस न्यायालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अपील को सुनवाई हेतु ग्रहण करने की कोई अधिकारिता है।

चूंकि अपीलार्थी ने अपील पत्र में रेस्पोडेंट संख्या 2 भीमसेन–पुत्र के विरूद्ध कोई राहत नहीं चाही है केवल अपनी पत्नी जमना देवी के पक्ष में तय किए गए भरण पोषण सम्बन्धी आदेश दिनांक 18.06.2018 को निरस्त करने की प्रार्थना की है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी रामचन्द्र को पति के रूप में अपील पेश करने की कोई अधिकारिता नहीं है। इसलिए गुण दोष पर निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसके द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 16 इस न्यायालय को सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार न होने के कारण खारिज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रति पालनार्थ लौटाया जावे। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को भी आदेश की एक–एक प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर